



(Recognised by All States/Union Territories)



# ALL INDIA GOVERNMENT DRIVERS' FEDERATION

(Regd. No. S/00927 NE/2012/Dt. 13.06.12) Regd. Add. : B-8, Shastri Gali, Vill. Dayal Pur, N.D.-110094  
(Recognised by All States/Union Territories Vide Their Individual Affiliated State Govt.)

Acting  
President :

Milan Raj Banshi

(M) 09436001452

Kohima Post Box - 770, Nagaland-797001

Email : milanrajbanshi8@gmail.com

Secretary General :

Narender Singh (Delhi)

(M) 9210274309

Off. Tel. No. : 23378128

E-mail : aigdf16@gmail.com

Ref. No. AIGDF/2020/35


कारण बताओ नोटिस

Date. 02.07.2020

1. जैसा कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता को साक्ष्य सहित विदित हुआ है कि श्री मिलन राज बंशी और श्री संदीप कुमार मोर्या ने असंवैधानिक तरीके से ऑल इण्डिया गवर्नमेंट ड्राइवर फेडरेशन के लेटर हेड को गैरकानूनी तरीके से छपवा कर उसका दुरुपयोग किया है जबकि फेडरेशन के द्वारा सम्मपन्न हुये 04 जनवरी 2020 के चुनाव में ना तो श्री मिलनराज बंशी किसी भी पद पर चुने गये और ना ही श्री संदीप कुमार मोर्या किसी भी कथित कार्यवाहक महामंत्री पद पर चुने गये जो कि फेडरेशन के उपनियमों के भी विरुद्ध है अतः आप दोनों को निर्देश दिया जाता है कि इस पत्र की प्राप्ति के 10 दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण दे अथवा चुनाव अधिकारी द्वारा जारी (Certificate of winning) विजेता प्रमाण-पत्र व 04-01-2020 की कार्यवाही सहित अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करे की आप दोनों कब चुनाव में अध्यक्ष और कार्यकारी महासचिव चुने गये अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुये पुलिस रिपोर्ट भी की जा सकती है जिसका उतरदायित्व पूर्ण रूप से आप दोनों पर होगा ।
2. जैसा कि 4 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का विधिवत चुनाव में सहयोग ना करके आप अन्य असमाजिक तत्वों के साथ मिलकर फेडरेशन विरोधी कार्य में लिप्त हो गये है जिससे फेडरेशन विघटन की और जा रही है, अतः स्पष्टीकरण दे कि आपने फेडरेशन के चुनाव में सहयोग क्यों नहीं किया ।
3. जैसा कि फेडरेशन का लेखा-जोखा देखने पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को विदित हुआ कि आपने दिनांक 09-06-2012 को श्री डी.पी. सिन्हा से 20000/-हजार रुपये दस्ती लिया जिसका ना तो कोई ब्यौरा दिया और फेडरेशन खाते में जमा कराया जबकि फेडरेशन खातों में पर्याप्त शेष उपलब्ध था । इसके अतिरिक्त तत्कालीन अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह ने श्री डी.पी.सिन्हा से दिनांक 29-05-2013 को बीस हजार रुपये अपने निजी खाते में जमा कराये थे, जिसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया और ना ही फेडरेशन के खाते में जमा कराये गये जिसे श्री डी.पी.सिन्हा को भुगतान करने की संतुति आपने की हुई है जिससे स्पष्ट होता की आपने महासचिव रहते हुये फेडरेशन के धन का गबन किया है । अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि दस दिन के भीतर स्पष्टीकरण दे ।
4. जैसा कि फेडरेशन के अन्य दस्तावेज देखने पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को विदित हुआ की आपने श्री पी. कन्नन को उपाध्यक्ष पद का पहचान-पत्र गैर कानूनी ढंग से भारत सरकार द्वारा प्रयोग अशोक स्तम्भ चिन्ह के साथ अनिश्चित काल के लिये जारी किया जो कि अवैध व अनैतिक है सूत्रों से ज्ञात हुआ है आपने भारी रकम लेकर इस प्रकार का पहचान-पत्र जारी किया जो कि सर्वथा गैर कानूनी और असंवैधानिक है जो कि आपकी नियत को प्रदर्शित करता है अतः श्री मिलन राज बंशी को निर्देश दिया जाता है कि इस पत्र की प्राप्ति के 10 दिन के भीतर अपना अद्योहस्ताक्षरकर्ता को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे ।



अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि 10 दिन के अन्दर आरोप संख्या 1, 2, 3 व 4 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करे अन्यथा नियमों का उल्लंघन करने व फेडरेशन के रूपये का गबन करने व असंवैधानिक कार्य करने के लिये आप के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी जायेगी जिसका उतर दायित्व आप का होगा ।


  
(नरेन्द्र सिंह)  
महासचिव

प्रेषित :-

1. श्री मिलनराज बंशी, कोहिमा, पोस्ट बाक्स, 770, नागालेण्ड-797001
2. श्री संदीप कुमार मोर्या, मकान न. 240, एल नम्बर 11, विजय पार्क एक्सटेंशन, बल्लूपुर देहरादूर, उत्तराखण्ड-248001

प्रतिलिपि प्रेषित

1. संस्था पंजीयक/एस.डी.एम. करावल नगर, दिल्ली सरकार, उपायुक्त कार्यालय, नंद नगरी, दिल्ली-110092

  
महासचिव